

प्राचार्य का कार्यालय
अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया

सूचना

दिनांक-20.4.2023 को प्राचार्य कक्ष में संस्थान के विभिन्न विभागों एवं छात्रावासों में सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए नया Security Guard की सेवा लेने हेतु प्रकाशित निविदा पी0आर0 संख्या- 15800(Health) 2022-23, 16931 (Health) 2022-23 एवं 17556(Health) 2022-23 के आलोक में तकनीकी निविदा के मूल्यांकन के फलस्वरूप तकनीकी निविदा में अहर्ताप्राप्त का क्रय समिति के सभी सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से दिनांक-28.4.2023 को वित्तीय निविदा के मूल्यांकन कार्य के निष्पादन करने का निर्णय लिया गया, को बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-10(7) दिनांक-21.4.2023 के आलोक में अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।


24/4/23
प्राचार्य

अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया


24/4/23

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सुधीर कुमार
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य/अधीक्षक,

सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बिहार।
सिविल सर्जन-सह-सचिव, सभी जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार।

पटना, दिनांक- 21/4/2023

विषय:- विभिन्न प्रकार के आउट सोर्सिंग सेवाओं यथा सुरक्षा गार्ड की सेवा, हाउस कीपिंगकी सेवा इत्यादि के लिए स्थानीय स्तर पर प्रकाशित की जाने वाली निविदाओं एवं उनके निष्पादन पर रोक के संबंध में।

महाशय/महाशया,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य अन्तर्गत विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों तथा जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा विभिन्न प्रकार के आउट सोर्स सेवाओं यथा- सुरक्षा गार्ड की सेवा, हाऊस कीपिंग सेवा आदि के लिए प्रकाशित किये जाने वाले निविदा के दिशा-निर्देशों में एकरूपता देखने को नहीं मिलती है। साथ ही उक्त निविदाओं के माध्यम से एजेंसियों के चयन में अनियमितता एवं उनकी कार्यशैली के संबंध में शिकायतें भी प्रायः विभाग को प्राप्त होती रहती हैं। इस संबंध में अभी हाल ही में वित्त विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।

2- उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य अंतर्गत विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा गार्ड, हाऊस कीपिंग इत्यादि की सेवा आउट सोर्सिंग के माध्यम से लिए जाने हेतु एजेंसियों के चयन के लिए केन्द्रीकृत रूप से निविदा प्रकाशित करने का प्रस्ताव राज्य स्तर पर विचाराधीन है।

3- अतः वर्णित स्थिति में स्थानीय स्तर पर उपर्युक्त सेवाओं के लिए नई निविदाओं के प्रकाशन सहित पूर्व में प्रकाशित परंतु अनिष्पादित उपर्युक्त प्रकार की सभी निविदाओं के निष्पादन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। साथ ही ऐसी निविदाओं, जिनका निष्पादन इस पत्र में निर्गत की तिथि से पूर्व हो गया हो परंतु कार्यादेश निर्गत नहीं हुआ हो, में अग्रेत्तर कार्रवाई स्थगित रखने का आदेश दिया जाता है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुधीर कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 7/विविध-28-04/2023-.....10 (4) पटना, दिनांक- 21/4/2023

प्रतिलिपि:- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति/ प्रबंध निदेशक, BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार/ सभी असेैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (स्वास्थ्य) के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 17,16,15,12,10,6,4 एवं 01 को सूचनार्थ प्रेषित।

21.4.23
सरकार के संयुक्त सचिव।